न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 197 **दायर दिनांक : 16.10.2014**

भीखाराम पि.मु. श्री जगदीश जाति कुम्हार निवासी करणीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री भारूराम जाति कुम्हार निवासी करणीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. भारूराम पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति कुम्हार निवासी करणीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमान उपपंजीयक सूरतगढ़।

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91ए, 188 व 209 आर.टी.ए.

उपस्थितः
1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अभिभाषक वादी।
2. श्री भगवानदत्त शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 व 2
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक : 11.02.2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया विचारण तथ्य पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है वादी द्वारा यह कथन करते हुये वाद पत्र घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188 व 209 आर.टी.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दादा के नाम से मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 2072 चक 2 के.एस.एम. का खाता सं. 33/29 के प.न. 211/39 कि.न. 12, 13, 16 ता 18, 22/1, 23/1, 24/1 में 2.328 है. भूमि वा प.न. 211/47 का कि.न. 21/1 में में 0.203 है. कुल 2.531 है. भूमि कमांड का खाता है जिसके वे खातेदार कृषक अंकित है। इसी प्रकार से प्रतिवादी सं. 1 जगदीश के नाम से चक 2 के.एस.एम. के प.न. 211/47 का कि. न. 1 ता 20 में 4.099 है. रकबा खातेदारी है। वादी प्रतिवादी सं. 1 का खोलायत पुत्र होने से वादी अपने पिता की 4.099 है. भूमि में से 1/2 हिस्सा व अपने पिता से बैयनामां द्वारा प्राप्त 0.659 है. में 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक है अर्थात 4.099 है. व 0.659 है. कुल 4.758 है. को सहदायी भूमि मानते हुये वादी ने अपने आप को उक्त भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने की प्रार्थना वाद द्वारा की। वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी न. 1 व 2 ने वाद वादी का विरोध करते हुये अंकित किया कि चक 2 के.एस.एम. प.न.

लगातार 2 पर....

211/47 का कि.न. 1 ता 20 की भूमि बालिग पुत्र में प्रतिवादी सं. 1 को आवंटित हुई है यह भूमि सहदायी भूमि कतई नहीं है इसी प्रकार से चक 2 के. एस.एम. के खाता स. 33/895 के प.न. 211/39 का कि.न. 16 व 25/1 की 0.456 है. कमाण्ड प.न. 211/47 का कि.न. 21/1 की 0.203 है. कुल 0.659 है. भूमि स्वयं की खरीद शुदा है सहदायी सम्पत्ती नहीं है इसलिये वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की है। जवाब प्राप्त होने पर तनकीयात् कायम की गईः–

1. आया जैर प्रकरण रकबा प्रतिवादी न. 1 की विरास्तन से प्राप्त हुई है?

वादी

2. आया वादी प्रतिवादी न. 1 का खोलायत पुत्र है तथा भारूराम का पौत्र है?

वादी

3. आया जैर प्रकरण रकबा बालिग पुत्रों में आवंटन रकबा है?

वादी

4. आया जैर प्रकरण रकबा पैतृक नहीं है?

प्रतिवादी

5. अन्य अनुतोष।

बाद कायमी तनकीयात् साक्ष्य लिये गये वादी द्वारा स्वयं के और बालकिशन के व औमप्रकाश के बयान करवाये गये। बाद प्राप्त किये जाने साक्ष्य लिखित में पक्षकारान के तर्क लिखित में प्राप्त कर शामिल मिस्ल किये गये, वादी द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वादी के दादा प्रतिवादी न. 2 भारूराम पुत्र श्री ज्ञानाराम के नाम से चक 2 के.एस.एम. के प.न. 211/39 के कि.न. 16/0.253 है. 25/1 में 0.203 है. की 0.456 है. प.न. 211/47 के कि.न. 21 में 0.203 है. कुल 0.659 है. रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व प्रतिवादी न. के नाम से चक 2 के.एस.एम. के प.न. 211/47 के कि.न. 1 ता 20 में 4.099 है. रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो प्रतिवादी सं. 1 को बतौर बालिग पुत्र पुख्ता आवंटन हुआ है। यह तमाम सम्पत्ती भारूराम से प्राप्त होने से हिन्दु सहदायी सम्पत्ती है जिसमें वादी का गोदनामें की दिनांक से बतौर सहदायी सदस्य 1/2 हिस्सा बनता है जिसे वादी चुंकि जगदीश का खोलायत पुत्र है इसलिये उसे जगदीश के नाम से अंकित भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाना चाहिये। वादी ने तमाम तनकीयात अपने हक में होनी लिखित बहस में बताते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने लिखित तर्क में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि किसी भी प्रकार से सहदायी नहीं है, चक 2 के.एस.एम. के प.न. 211/39 व 211/47 की 0.659 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खरीदशुदा व चक 2 के.एस.एम. के प.न. 211/47 के कि.न. 1 ता 20 की 4.099 है. भूमि बतौर

लगातार 3 पर.....

बालिग पुत्र आवंटन होने से स्वयं की पैदा कर्दा सम्पत्ती होने से इसमें सहदायी के हकूक से इन्कार किया व तर्क दिया कि स्वयं पैदा कर्दा सम्पत्ती सहदायी सम्पत्ती की परिभाषा में नहीं आती, कब्जा काश्त वादी का कतई नहीं है इसलिये वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में ध्यान पूर्वक पठन व मनन किया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

<u>तनकी न. 1:–आया जैर प्रकरण रकबा प्रतिवादी न. 1 की विरास्तन से प्राप्त हुई है?</u>

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिये मात्र जमाबंदियों की नकलें प्रस्तुत की गई है जमाबंदियों में जैरवाद रकबा चक 2 के.एस.एम. का प.न. 211/47 की 4.099 है. भूमि बतौर खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित है इसी प्रकार से चक 2 के.एस.एम. के प.न. 211/39 व प.न. 211/47 की 0.659 है. प्रतिवादी सं. 1 की खरीद शुदा बहक जगदीश स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट हो रही है। खरीदशुदा भूमि अथवा किसी व्यक्ति को आवंटित भूमि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पत्ती होती है उसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अंकित व्यक्ति के जीवनकाल में उसके वारिसों का कोई हक नहीं बनता, वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि सहदायी है यह कतई सिद्ध नहीं कर पाया। तनकी न. 1 इसी अनुसार संदेह से परे सिद्ध ना होने से विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी न. 2:–आया वादी प्रतिवादी न. 1 का खोलायत पुत्र है तथा भारूराम का पौत्र है?</u>

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था इसे सिद्ध करने के लिये वादी द्वारा गोदनामें की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है किन्तु वादी द्वारा गोदनामें को सिद्ध करने के लिये गोदनामें में अंकित गवाहान के बयान नहीं करवाये है व चित्रप्रति असल के अभाव में अपने आप में साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ना तो पठनीय है व गवाहों के बयान के अभाव में सिद्ध नहीं मानी जा सकती इसी अनुसार तनकी न. 2 विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी न. 3:–आया जैरप्रकरण रकबा बालिग पुत्रों में आवंटन रकबा है?</u>

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था इसे सिद्ध करने के लिये वादी द्वारा फोटो प्रति निर्णय आवंटन अधिकारी निर्णय दिनांक 15.05.1992 प्रस्तुत किया है यद्यपि यह चित्र प्रति है किन्तू पक्षकार इसे स्वीकार कर रहे है व वर्तमान में भी रकबा जगदीश के नाम से चक 2 के.एस.एम. का प.न. 211/47 का कि.न. 1 ता 20 की 4.099 है. बतौर खातेदारी दर्ज कागजात रिकॉर्ड है यह उसकी व्यक्तिगत स्वयं पैदाकर्दा सम्पत्ती माने जाने योग्य है जो उसी को आवंटन अंकन अनुसार मानी जा सकती है, इस सम्पत्ती को सहदायी कतई नहीं कहा जा सकता। तनकी न. 3 इसी अनुसार निर्णय की जाती है।

लगातार 4 पर.....

तनकी न. 4:—आया जैर प्रकरण रकबा पैतृक नहीं है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी न. 1 पर था यद्यपि इस तनकी को सिद्ध करने के लिये शपथ पत्र पर साक्ष्य नहीं आये है किन्तु वादी द्वारा दस्तावेज बैयनामां की प्रमाणित नकल एवं जमाबंदी से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि चक 2 के.एस.एम. के प.न. 211/39 व 211/47 की 0.659 है. प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिफल देकर खरीद की गई है शेष भूमि 4.099 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 को स्वयं को आवंटित की गई है वाद में अंकित कुल भूमि जगदीश प्रतिवादी सं. 1 की स्वयं की मेहनत से अर्जित सम्पत्ती है इसलिये तनकी न. 4 बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी न. 1, 2, 3 विरूद्ध वादी व तनकी न. 4 बहक प्रतिवादी होने से वादग्रस्त होने से किसी भी प्रकार से पैतृक सहदायी भूमि नहीं मानी जा सकती वाद वादी सिद्ध नहीं होने से निरस्त किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो बाद तरतीब तकमील पत्रावली दाखिल दफत्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

भीखाराम पि.मु. श्री जगदीश जाति कुम्हार निवासी करणीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री भारूराम जाति कुम्हार निवासी करणीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. भारूराम पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति कुम्हार निवासी करणीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमान उपपंजीयक सूरतगढ़।

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91ए, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 197 वर्ष 2014 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री सुरेन्द्र सुथार व वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 श्री भगवानदत्त शर्मा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी सिद्ध नहीं होने से निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11.02.2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:38:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: